परिपत्र सं. आईआरडीएआई/जीवन/परिपत्र/विज्ञापन/....../4/2023

Cir. No. IRDAI/Life/CIR/ADVT/....../4/2023 दिनांक / Date: …………. 2023

परिपत्र

Circular

प्रति / To,

सभी जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
All Life insurers, General insurers and Health insurers

विषयः विज्ञापनों का अनुमोदन और अनुरक्षण करने के लिए प्रक्रिया
Subject: Procedure for approving and maintaining Advertisements

संदर्भः भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 दिनांक 05.2023
Ref: Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) (First Amendment) Regulations, 2021 dated ….. .05.2023

यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) (ङ) और आईआरडीएआई (विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021 के विनियम 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञापन फाइल करने की वर्तमान प्रक्रिया को आशोधित करने तथा इसके द्वारा विज्ञापनों के अनुमोदन के लिए उत्पाद प्रबंध समिति (पीएमसी) को समर्थ बनाने के लिए जारी किया जा रहा है। बीमा विज्ञापन उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया का अभिन्न अंग माने जाते हैं। विज्ञापन स्वीकार करने की प्रक्रिया वर्तमान में अनुमोदित फाइल एण्ड यूज़ आवेदनों तथा आईआरडीएआई विज्ञापन विनियमों / परिपत्रों के अनुपालन पर आधारित है। यह प्रक्रिया आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 दिनांक __.04.2023 को ध्यान में रखते हुए आशोधित की गई हैः
This circular is being issued in exercise of the powers conferred by section 14(2) (e) of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and regulation 7(1) of IRDAI (Advertisement and Disclosure) Regulations,2021 to modify the existing procedure of filing of advertisements thereby enabling the Product Management Committee (PMC) responsible for the approval of advertisements. Insurance advertisements are considered to be the integral part of product filing procedure. The procedure for accepting the advertisements is currently based on the approved File and Use applications and compliance to IRDAI Advertisement Regulations / Circulars. The procedure is modified in view of the IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) (First Amendment) Regulations, 2021 dated __ .04.2023:

1. प्रत्येक बीमाकर्ता एक विज्ञापन समिति का गठन करेगा जो उत्पाद प्रबंध समिति को रिपोर्ट करेगी। इस विज्ञापन समिति में अनिवार्य (मैंडेटरी) रूप से बीमाकर्ता के विपणन, बीमांकिक और अनुपालन कार्यों से संबद्ध कम से कम तीन सदस्य होंगे।
   Each insurer shall constitute an advertisement committee reporting to the Product Management Committee. The advertisement committee shall have at least three members mandatorily from Marketing, Actuarial and Compliance functions of the insurer.

2. सभी बीमा विज्ञापन अब के बाद उक्त विज्ञापन समिति को प्रस्तुत किये जाएँगे। विज्ञापन समिति विज्ञापनों की जाँच करेगी और उत्पाद प्रबंध समिति को उपयुक्त सिफारिशें करेगी।
   All the insurance advertisements hereafter shall be submitted to the advertisement committee. The advertisement committee shall examine the advertisements and make suitable recommendations to the Product Management Committee.

3. विज्ञापन समिति की सिफारिशों की जाँच करने के बाद, विज्ञापनों का अनुमोदन करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के लिए उत्पाद प्रबंध समिति अंतिम प्राधिकारी होगी। अनुमोदित विज्ञापन जारी करने के लिए उत्पाद प्रबंध समिति और विज्ञापन समिति पूर्णतः उत्तरदायी होंगी।
   Product Management Committee shall be the final authority either to approve or reject the advertisements, after examining the recommendations of the advertisement committee. Product Management Committee and advertisement committee shall be accountable and fully responsible for releasing the approved advertisements.

4. उत्पाद प्रबंध समिति निम्नलिखित का अनुरक्षण सुनिश्चित करेगीः
   Product Management Committee shall ensure to maintain:

   क. सभी विज्ञापनों का एक रजिस्टर, जिसमें फाइलिंगों, अनुमोदित, अस्वीकृत और वापस लिये गये विज्ञापनों का विवरण शामिल होगा।
   a. a register of all advertisements including the details of filings, approved, rejected and withdrawn.

   ख. बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों के उपयोग के लिए अनुमोदित सभी विज्ञापनों का एक रजिस्टर, जिसमें फाइलिंगों, अनुमोदित, अस्वीकृत और वापस लिये गए विज्ञापनों का विवरण शामिल होगा।
   b. a register of all advertisements approved, for the use of insurance agents and insurance intermediaries, including the details of filings, approved, rejected and withdrawn.

ग. बीमाकर्ता की अभिलेख प्रतिधारण नीति के अनुसार सभी विज्ञापनों के संबंध में अभिलेख, विज्ञापन वापस लेने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष के लिए, तथा इन्हें प्राधिकरण द्वारा जब भी अपेक्षा की जाएगी तब प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा।

c. the records for all the advertisements, as per the record retention policy of the insurer or at least three years from the date of withdrawal of the advertisement and shall be made available to the Authority as and when called for.

5. बीमाकर्ता अनुमोदित विज्ञापन जारी करने से तीन दिन के अंदर यूआरएन के तिथि-वार क्रम में अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन को अपलोड करेगा। बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे निर्गम की तारीख से तीन दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करने के लिए उचित सुदृढ़ प्रणालियाँ स्थापित करें।
The insurer shall upload the advertisement, on their website in the chronological order of URN within three days of releasing the approved advertisements. Insurers are advised to set up proper robust systems to upload advertisements on their website within three days of release.

6. बीमाकर्ता को ऊपर खंड 5 पर उल्लिखित प्रणाली स्थापित करनी होगी तथा अनुरोध है कि यह परिपत्र जारी करने पर अथवा यह परिपत्र जारी करने से एक सप्ताह के अंदर अनुपालन की सूचना देते हुए प्राधिकरण को एक पुष्टीकरण ई-मेल से भेजें।
The insurer has to set-up the system mentioned at clause 5 above and are requested to send a confirmation email to the Authority informing the compliance on or before one week of releasing of this Circular.

हस्ता / Sd /-

सदस्य (जीवन) / Member (Life)